

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2108

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया)

नए एनसीएलटी

2108. सुश्री दिया कुमारी:
श्री राहुल गांधी:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण की सर्किट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील अधिकरण की अतिरिक्त पीठों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्यमान पीठों में अतिरिक्त न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) एनसीएलटी और एनसीएलएटी के समक्ष बढ़ी संख्या में लंबित मामलों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी हाँ। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने चेन्नई में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) की पीठ स्थापित करने का निर्णय किया है। कार्यभार और अन्य संगत कारकों के आधार पर, विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की पीठें स्थापित की जाती हैं।

(ग): कुछ विद्यमान पीठों में अधिक कार्यभार को देखते हुए अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई है और समय-समय पर अतिरिक्त न्यायालयों को क्रियान्वित किया गया है।

(घ): सरकार लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए, पीठों की संख्या, न्यायालयों की संख्या और सदस्यों की संख्या के संदर्भ में एनसीएलटी और एनसीएलएटी को सुदृढ़ करने के लिए सभी उपाय कर रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान, चेन्नई में एनसीएलएटी की पीठ स्थापित करने के निर्णय के अलावा, जयपुर, कटक, कोच्चि, इंदौर और अमरावती में एनसीएलटी की पांच नई पीठें स्थापित की गई हैं। सरकार ने, हाल ही में एनसीएलटी में 28 अतिरिक्त सदस्यों तथा एनसीएलएटी में 4 और सदस्यों की नियुक्ति भी की है। सदस्यों के क्षमता निर्माण हेतु नियमित औपचारिक वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। अधिक कार्यभार वाली कुछ पीठों में ई-न्यायालय परियोजना भी कार्यान्वित की गई है।
